

# छत्तीसगढ़ विधान सभा

क्रमांक - 47

पत्रक भाग-दो

सोमवार, दिनांक 25 जुलाई, 2022 (श्रावण 3, 1944)

“केन्द्र सरकार की अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 480 (अ), दिनांक 28 जून, 2022 के माध्यम से अधिसूचित “वन (संरक्षण) नियम, 2022” पर असहमति एवं उसे वापस लेने संबंधी शासकीय संकल्प

जुलाई, 2022 सत्र में माननीय श्री मोहम्मद अकबर, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

“केन्द्र सरकार की अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 480 (अ), दिनांक 28 जून, 2022 के माध्यम से अधिसूचित “वन (संरक्षण) नियम, 2022” के द्वारा वन क्षेत्रों में गतिविधियों की अनुमति के प्रावधानों को बदले जाने से उक्त नियम वन क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वनवासियों का जनजीवन एवं उनके हितों को प्रभावित करेगा।

अतः यह सदन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के “वन (संरक्षण) नियम, 2022” से असहमति व्यक्त करते हुए उसे वापस लेने की अनुशंसा करता है।”

**दिनेश शर्मा**

**सचिव**

**छत्तीसगढ़ विधान सभा**



  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062022-236894  
CG-DL-E-29062022-236894

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459]  
No. 459]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 28, 2022/ आषाढ 7, 1944  
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 28, 2022/ASHADHA 7, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2022

सा.का.नि. 480(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वन (संरक्षण) नियम, 2003, को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रान्त करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,-

- (क) "प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण" से अधिनियम की धारा 2 के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली सक्रिय वनीकरण की एक प्रणाली अभिप्रेत है;
- (ख) "अधिनियम" से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) अभिप्रेत है;
- (ग) "परामर्शदात्री समिति" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित परामर्शदात्री समिति अभिप्रेत है;
- (घ) "अध्यक्ष" से परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

- (ड) "प्रतिपूरक वनीकरण" से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के अधीन वनेत्तर प्रयोजन के लिए वन भूमि के अपवर्तन की एवज में किया गया वनीकरण अभिप्रेत है;
- (च) "प्रतिपूरक उदग्रहण" में प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 (2016 का 38) की धारा 4 की उप-धारा 3 के खंड (iii) और (iv) में विविनिर्दिष्ट की गई सभी धनराशियां और निधियां सम्मिलित हैं;
- (छ) "वन संरक्षक" से वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक या वन भूमि पर क्षेत्राधिकार जिसके लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है, रखने वाले अधिकारी द्वारा वन सर्कल का कार्यभार ग्रहण करने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा नियुक्त वन संरक्षक के समकक्ष अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ज) "अनारक्षण" से वन के रूप में सांविधिक रूप से अथवा अन्यथा मान्यता प्रदान की गई भूमि की विधिक स्थिति को भूमि की किसी अन्य श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र, प्रशासन और उसके किसी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया आदेश अभिप्रेत है;
- (झ) "अपयोजन" से किसी वन भूमि के उपयोग को वनेत्तर प्रयोजन या किसी वन भूमि के पट्टे को वनेत्तर प्रयोजन हेतु निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अथवा उसके किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया आदेश अभिप्रेत है;
- (ञ) "जिला क्लेक्टर" से यथास्थिति राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्त अधिकारी से है जिसमें जिला क्लेक्टर, उप-आयुक्त सम्मिलित हैं, उस वन भूमि, जिसके लिए अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है, पर क्षेत्राधिकार रखने वाले राजस्व जिले के प्रशासन का प्रभार धारण करने के लिए नियुक्त किया गया अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ट) "प्रभागीय वन अधिकारी" से राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रभागीय वन अधिकारी, उप-वन संरक्षक अथवा प्रभागीय वन अधिकारी या उप-वन संरक्षक के समकक्ष कोई अधिकारी, जिसे उस वन भूमि, जिसके लिए अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है, पर क्षेत्राधिकार रखने वाले वन प्रभाग का प्रभार धारण करने के लिए नियुक्त किया गया अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ठ) "एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय" से इन नियमों के प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित और नियंत्रित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय से अभिप्रेत है;
- (ड) "भूमि बैंक" से अधिनियम के अधीन अपयोजन के लिए प्रस्तावित या अपयोजित वन भूमि की एवज में प्रतिपूरक वनीकरण किए जाने के लिए राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा यथास्थिति भूमि को अभिज्ञात या चिन्हित करना अभिप्रेत है;
- (ढ) "सरेखीय परियोजना" से ऐसी परियोजनाएं अभिप्रेत हैं जिनमें सड़कों, पाइप लाइनों, रेलवे, पारेषण लाइनों आदि के प्रयोजन के लिए वन भूमि का सरेखीय अपयोजन अभिप्रेत है;
- (ण) "सदस्य" से परामर्शदात्री समिति का सदस्य अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष सम्मिलित हैं;
- (त) "सदस्य" से क्षेत्रीय सशक्त समिति या परियोजना जांच समिति के सदस्य अभिप्रेत है और जिसमें यथास्थिति क्षेत्रीय सशक्त समिति या परियोजना जांच समिति का अध्यक्ष सम्मिलित है;
- (थ) "राष्ट्रीय कार्य-योजना कोड" से कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किया गया कोड अभिप्रेत है;

- (द) "नोडल अधिकारी" से इन नियमों व अधिनियम को क्रियान्वित करने और वन वन संरक्षण के मामलों पर कार्रवाई करने वाला और केन्द्रीय सरकार से इस मामले में पत्राचार करने के लिए यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा प्राधिकृत ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक से नीचे के पद का न हो या संबंधित संघ राज्यक्षेत्र के वन विभाग में ज्येष्ठतम अधिकारी, यदि विभाग में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक या उससे ऊपर का पद नहीं हो;
- (ध) "परियोजना जांच समिति" से नियम 8 के अधीन गठित परियोजना जांच समिति अभिप्रेत है, जो यथास्थिति गैर-वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमि का उपयोग करने के लिए राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को सिफारिश करने के लिए परियोजना प्रस्तावों की जांच करेगी;
- (न) 'क्षेत्रीय सशक्त समिति' से नियम 6 के उप नियम (1) के अधीन गठित की गई क्षेत्रीय सशक्त समिति अभिप्रेत है;
- (प) "क्षेत्रीय अधिकारी" से केन्द्रीय सरकार द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय का नियुक्त किया गया प्रमुख अधिकारी है;
- (फ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (ब) "सर्वेक्षण" से किसी परियोजना की शुरुआत करने से पूर्व किया गया कोई कार्यकलाप या वन भूमि में वास्तविक रूप से खनन कार्य करने से पूर्व कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित खनिज भंडारों का अन्वेषण करने, अवस्थिति का पता लगाने या उन्हें साबित करने के प्रयोजन के लिए किए गए कार्यकलाप, जिसमें सर्वेक्षण, जांच करना, पूर्वक्षण, अन्वेषण आदि सम्मिलित अभिप्रेत है;
- (भ) "प्रयोक्ता एजेंसी" से अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत वन भूमि के अनारक्षण, अपयोजन या पट्टे के निर्धारण के लिए अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति, संगठन या कानूनी इकाई या कंपनी या केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का विभाग अभिप्रेत है;
- (म) "कार्य योजना" से समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित की गई राष्ट्रीय कार्य योजना कोड के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया दस्तावेज और जिसमें किसी त्रिनिर्दिष्ट अवधि के लिए विशिष्ट वन प्रभाग के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन करने के लिए निर्धारित निर्देश सम्मिलित हैं, अभिप्रेत है।

(2) इसमें प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों और जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है किंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम में क्रमानुसार उन्हें दिया गया है।

**3. परामर्शदात्री समिति का गठन-** (1) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा निम्नलिखित के संबंध में परामर्श देने के लिए एक परामर्शदात्री समिति का गठन कर सकती है:- (i) नियम 9 के खंड 5 के उप खंड (ख) के अधीन संदर्भित प्रस्तावों के संबंध में धारा 2 के अधीन अनुमोदन प्रदान करना, और (ii) वनों के संरक्षण से संबंधित कोई मामला जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा परामर्शदात्री समिति को संदर्भित किया गया है।

(2) परामर्शदात्री समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, नामत :-

(1)	(2)	(3)
1.	वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,	अध्यक्ष;
2.	अपर वन महानिदेशक, (वन संरक्षण) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,	सदस्य;
3.	अपर वन महानिदेशक, (वन्यजीव) पर्यावरण, वन और जलवायु	सदस्य;

	परिवर्तन मंत्रालय,	
4.	अपर आयुक्त (मृदा संरक्षण), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,	सदस्य;
5.	पारिस्थितिकी, इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट इकनोमिक्स के क्षेत्रों से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने वाले केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन विशेषज्ञ,	सदस्य;
6.	वन संरक्षण के संबंध में कार्रवाई कर रहे वन महानिरीक्षक,	सदस्य-सचिव।

(3) अध्यक्ष, परामर्शदात्री समिति की बैठक में किसी भी डोमेन विशेषज्ञ को विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में सहयोजित कर सकते हैं।

(4) अध्यक्ष, परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में अपर वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

#### 4. परामर्शदात्री समिति के गैर सरकारी सदस्यों के लिए निबंधन और शर्तें निम्नानुसार होंगी, अर्थात् :-

- (क) एक गैर सरकारी सदस्य के अपने कार्यकाल की अवधि अपने नामनिर्देशन की तारीख से दो वर्ष के लिए होगी;
- (ख) एक गैर सरकारी सदस्य का यदि विकृत चित्त या दिवालिया या किसी अपराध, जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित है, में दोषी पाए जाने की स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी;
- (ग) यदि कोई गैर सरकारी सदस्य बिना पर्याप्त कारणों से परामर्शदात्री समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होता तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी;
- (घ) खंड (ख) और (ग) में बताए गए कारणों के फलस्वरूप यदि कोई रिक्ति होती है तो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा दो वर्ष की शेष अवधि के लिए भर लिया जाएगा;
- (ङ) परामर्शदात्री समिति के गैर-सरकारी सदस्य उसी यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे जो समान वेतनमान में समूह 'क' के पद धारण करने वाले भारत सरकार के किसी अधिकारी को स्वीकार्य हैं;

परंतु सदस्य, जो संसद का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य है, को यात्रा और दैनिक भत्ते का भुगतान संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 (1954 का 30) या संबंधित राज्य विधान सभा के सदस्यों से संबंधित विधि के संबंधित उपबंधों के अनुसार, जो भी स्थिति हो, विनियमित होगा।

#### 5. परामर्शदात्री समिति के कार्यों का संचालन- परामर्शदात्री समिति अपने कार्य निम्नानुसार करेगी, अर्थात्:-

- (क) अध्यक्ष जब कभी आवश्यक समझे, समिति की बैठक बुला सकते हैं, जो माह में एक बार से कम नहीं हो।
- (ख) समिति की बैठक नई दिल्ली में होगी परंतु, उस मामले में, जहां अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी वन भूमि के स्थान जिसका वनेत्तर प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाना है का निरीक्षण आवश्यक है या समिति को संदर्भित पर विचार शीघ्रता से किया जाना आवश्यक है तो यह समिति की बैठक नई दिल्ली में न करके उस स्थान पर करने के निर्देश दे सकते हैं जहां से स्थल या स्थलों का निरीक्षण आवश्यक हो।
- (ग) समिति की बैठक में ऐसे प्रत्येक प्रश्न पर विचार किया जाएगा जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार को परामर्श देना आवश्यक होगा परंतु तात्कालिक स्वरूप के मामलों में, अध्यक्ष ऐसे दस्तावेजों को सदस्यों के बीच निर्धारित समय के अंदर उनकी राय जानने के लिए परिचालित करेंगे।
- (घ) समिति की बैठक की गणपूर्ति (कोरम) पांच होगी।
- (ङ.) प्रयोक्ता एजेंसी को ऐसी अवधि के लिए उपस्थित रहने के लिए अनुमत किया जा सकता है जो उनसे संबंधित किसी सूचना को प्रदान करने या किसी मुद्दे का स्पष्टीकरण करने के लिए आवश्यक हो।

6. क्षेत्रीय सशक्त समिति का गठन - (1) केन्द्रीय सरकार, नियम 9 के खंड 5 के उप खंड (क) के अधीन संदर्भित प्रस्तावों की जांच करने तथा धारा 2 के अधीन प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करने या अस्वीकार करने के लिए प्रत्येक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय में आदेश द्वारा एक क्षेत्रीय सशक्त समिति का गठन करेगी।

(2) प्रत्येक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय सशक्त समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)
1.	क्षेत्रीय अधिकारी,	अध्यक्ष;
2.	ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में से जो वानिकी और सहायक विषयों में विशेषज्ञ है, में से तीन गैर सरकारी सदस्य,	सदस्य;
3.	एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय में वन संरक्षक और उप वन संरक्षक रैंक के अधिकारियों में से ज्येष्ठतम अधिकारी,	सदस्य सचिव।

(3) क्षेत्रीय सशक्त समिति का अध्यक्ष बैठक के लिए विशेष आमंत्रितों के रूप में डोमेन विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकता है

(4) वन विभाग और राजस्व विभाग से एक-एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार के निदेशक के पद से नीचे का न हो, को क्षेत्रीय सशक्त समिति द्वारा प्रस्तावों की जांच के लिए विशेष आमंत्रित के रूप में बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

(5) क्षेत्रीय सशक्त समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के निबंधन और शर्तें निम्नानुसार होंगी:-

- (क) एक गैर सरकारी सदस्य के अपने कार्यालय की अवधि अपने नामांकन की तारीख से दो वर्ष के लिए होगी;
- (ख) एक गैर-सरकारी सदस्य को यदि विकृत चित्त, दिवालिया या एक ऐसे अपराध के लिए दोषी पाया गया हो, जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित है, की स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी;
- (ग) यदि कोई गैर सरकारी सदस्य बिना पर्याप्त कारणों से समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होता तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी;
- (घ) उप खंड (ख) और (ग) में बताए गए कारणों के फलस्वरूप यदि क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति में कोई रिक्ति होती है तो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा शेष दो वर्ष की अवधि के लिए भर लिया जाएगा; तथा
- (ङ) क्षेत्रीय सशक्त समिति के गैर-सरकारी सदस्य यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे जो समान वेतनमान वाले समूह 'क' पद धारण करने वाले भारत सरकार के एक अधिकारी के लिए स्वीकार्य है:

परंतु सदस्य, जो संसद का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य है, को यात्रा और दैनिक भत्ते का भुगतान संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 (1954 का 30) या संबंधित राज्य विधान सभा के सदस्यों से संबंधित विधि के संबंधित उपबंधों के अनुसार, जैसी भी स्थिति हो विनियमित होगा।

7. क्षेत्रीय सशक्त समिति के कार्यों का संचालन - सलाहकार समिति अपना कार्य निम्नानुसार संचालित करेगी, अर्थात्:-

- (क) क्षेत्रीय सशक्त समिति का अध्यक्ष जब कभी आवश्यक समझे, समिति की बैठक आयोजित कर सकता है, जो माह में दो बार से कम नहीं हो;
- (ख) क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्यालय में आयोजित की जाएगी:

परंतु क्षेत्रीय सशक्त समिति का अध्यक्ष जहां इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी वन भूमि के स्थान या जिनका वनेत्तर प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है, का निरीक्षण आवश्यक या उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार शीघ्रता से किया जाना आवश्यक है तो स्थल के ऐसे निरीक्षण के लिए यह क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्यालय में न करके अन्य स्थान पर करने के निर्देश दे सकते हैं;

(ग) क्षेत्रीय सशक्त समिति का अध्यक्ष क्षेत्रीय सशक्त समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में, ज्येष्ठतम सदस्य जो वन संरक्षक के पद से नीचे का न हो, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा;

(घ) क्षेत्रीय सशक्त समिति को सलाह या विनिश्चय के लिए विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रस्ताव पर क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में विचार किया जाएगा।

परंतु शीघ्रता वाले मामलों में, क्षेत्रीय सशक्त समिति का अध्यक्ष निदेश दे सकेगा कि कागज-पत्रों को परिचालित किया जाए और क्षेत्रीय सशक्त समिति के सदस्यों को अनुबद्ध समय के भीतर उनकी राय के लिए भेजा जाए।

(ङ) क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में गणपूर्ति (कोरम) तीन होगी; तथा

(च) प्रयोक्ता एजेंसी को बैठक के दौरान ऐसी अवधि के लिए उपस्थित रहने के लिए अनुमत किया जा सकता है जो इससे संबंधित किसी सूचना को प्रदान करने या किसी मुद्दे का स्पष्टीकरण करने के लिए आवश्यक हो।

8. परियोजना जांच समिति का गठन - (1) राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, एक आदेश द्वारा, अधिनियम की धारा 2 के खंड (i), (ii) या (iii) के अधीन प्रस्तुत प्रस्ताव की पूर्णता की जांच करने के लिए एक परियोजना जांच समिति का गठन कर सकते हैं।

(2) परियोजना जांच समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)
1.	नोडल अधिकारी,	अध्यक्ष;
2.	संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,	सदस्य;
3.	संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी,	सदस्य;
4.	संबंधित जिला कलेक्टर और उनके प्रतिनिधि, (डिप्टी कलेक्टर के पद से नीचे का नहीं)	सदस्य;
5.	नोडल अधिकारी के कार्यालय में प्रभागीय वन अधिकारी,	सदस्य - सचिव।

(3) परियोजना जांच समिति की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम दो बार होगी, और परियोजना जांच समिति की बैठक की गणपूर्ति तीन होगी।

(4) परियोजना जांच समिति, प्रस्तावों की जांच के पश्चात, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, को सिफारिश करेगी।

9. केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के प्रस्ताव - (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन दो चरणों में दिया जाएगा, अर्थात् (i) सैद्धांतिक अनुमोदन; और (ii) अंतिम अनुमोदन।

(2) प्रयोक्ता एजेंसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को अधिनियम की धारा 2 के अधीन निर्दिष्ट ऑनलाइन फॉर्म में केंद्रीय सरकार से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले, वन भूमि के अनारक्षण, गैर वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग या पट्टे के आवंटन, के अनुमोदन के लिए आवेदन करेगा।

(3) प्रस्ताव की एक प्रति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के संबंधित वन मंडल अधिकारी, जिला कलेक्टर, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक और नोडल अधिकारी को भी साथ-साथ अग्रेषित की जाएगी और उनमें से प्रत्येक परियोजना जांच समिति द्वारा जांच के प्रयोजन से प्रस्ताव के प्रलेखन की पूर्णता की प्रारंभिक जांच स्वतंत्र और पृथक रूप से करेगा।

(4) (क) परियोजना जांच समिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रस्तावों की पांच हेक्टेयर या उससे कम की वन भूमि वाले प्रस्तावों को छोड़कर, प्रस्ताव की योग्यता में जाने के बिना जांच करेगी, कि प्रस्ताव सभी तरह से पूर्ण है और प्रस्तावित गतिविधि की जांच और पता लगाने के उद्देश्य से किसी प्रतिबंधित क्षेत्र या श्रेणी में नहीं है और परियोजना जांच समिति बैठक के दौरान स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हो, के लिए प्रयोक्ता एजेंसी को बुला सकती है और बैठक के कार्यवृत्त ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे;

(ख) परियोजना जांच समिति प्रस्ताव की पूर्णता और शुद्धता के लिए जांच करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्ताव में कमियां, यदि कोई हों, तो उसकी पहचान की जाती है और सदस्य-सचिव इस संबंध में प्रयोक्ता एजेंसी को सूचित करेंगे;

(ग) प्रयोक्ता एजेंसी, यदि खंड (ख) के अधीन प्रस्ताव वापस किया जाता है तो प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत करेगी और परियोजना जांच समिति द्वारा इसकी पुनः जांच की जाएगी; इस उपखंड के अधीन इस प्रकार फिर से प्रस्तुत किया गया अधूरा प्रस्ताव अपंजीकृत माना जाएगा;

(घ) किसी भी प्रस्ताव के लिए जो परियोजना जांच समिति द्वारा सभी प्रकार से पूर्ण पाया जाता है की पहचान संख्या सृजित की जाएगी और इस पहचान संख्या का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भों के लिए किया जाएगा;

(ङ.) परियोजना पहचान संख्या के साथ पूरा प्रस्ताव संबंधित संभागीय वन अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, वन संरक्षक या मुख्य वन संरक्षक को क्षेत्र सत्यापन के लिए अग्रेषित किया जाएगा;

(च) जहां प्रस्ताव में सम्मिलित वन भूमि या उसका कोई भाग वन विभाग के प्रबंधन नियंत्रण में नहीं है, वहां जिला कलेक्टर राजस्व विभाग और वन विभाग के; अधिकारियों द्वारा संयुक्त सत्यापन के माध्यम से ऑनलाइन प्रपत्र में प्रमाणित प्रस्ताव में सम्मिलित वन भूमि का भूमि अनुसूची और नक्शा प्राप्त करेंगे,

(छ) इसके अतिरिक्त, संबंधित संभागीय वन अधिकारी द्वारा क्षेत्र में प्रत्येक प्रस्ताव सत्यापित किया जाएगा, जिसमें 40 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि सम्मिलित है तो उसे संबंधित वन संरक्षक द्वारा और यदि प्रस्ताव में सौ हेक्टेयर से अधिक वन भूमि; सम्मिलित है तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षण किया जाएगा।

(ज) पांच हेक्टेयर या उससे कम की वन भूमि वाले प्रस्तावों को छोड़कर प्रस्ताव, खंड (ग) या खंड (ङ.) के अधीन पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने से, इन नियमों से संलग्न अनुसूची-2 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर परियोजना जांच समिति के विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और परियोजना जांच समिति प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपनाए जाने वाले उपशमन उपायों के साथ राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को इसकी सिफारिश करने के उद्देश्य से प्रस्ताव की व्यवहार्यता की जांच करेगी:

परंतु परियोजना जांच समिति वन भूमि की आवश्यकता को कम करने या वन और वन्यजीवों, पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने, प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण भूमि में परिवर्तन या परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपनाए जाने वाले प्रस्तावित उपायों में परिवर्तन, जैसे कारणों से अपयोजन के लिए प्रस्तावित वन

भूमि में परिवर्तन के संदर्भ में प्रयोक्ता एजेंसी से कोई स्पष्टीकरण, अतिरिक्त विवरण या संशोधन की मांग कर सकती है, और इस उद्देश्य के लिए यह प्रयोक्ता एजेंसी को एक प्रस्तुति देने के लिए कह सकती है:

परंतु यह और प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ऑनलाइन स्पष्टीकरण या अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा, और यदि प्रस्ताव को खंड (ख) से (छ) जैसा लागू हो में चरणों को दोहराने के पश्चात इस खंड में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर पहले नियम के अनुसार संशोधित किया गया है, और यदि संशोधित प्रस्ताव में नई वन भूमि के अपयोजन के लिए प्रस्तावित किया गया है, तो खंड (छ) के चरणों को भी दोहराया जाएगा।

(ज) जहां प्रयोक्ता एजेंसी निर्दिष्ट अवधि के भीतर सही सूचना, अतिरिक्त विवरण या संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विफल रहती है, प्रस्ताव अस्वीकार माना जाएगा:

परंतु यदि प्रयोक्ता एजेंसी परियोजना जांच समिति को संतुष्ट करती है कि देरी का कारण उसके नियंत्रण से बाहर था, तो परियोजना जांच समिति लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के पश्चात उस प्रस्ताव पर पुनः विचार कर सकती है और जैसी भी स्थिति हो, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को इसकी सिफारिश कर सकती है;

(क) पांच हेक्टेयर से कम की वन भूमि वाले प्रस्ताव को संभागीय वन अधिकारी के स्तर पर जांच के पश्चात उसके द्वारा सीधे नोडल अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा और नोडल अधिकारी ऐसे प्रस्तावों को अपनी सिफारिशों के साथ राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को अग्रेषित करेगा और इसकी एक प्रति एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेजी जाएगी;

(ख) पांच हेक्टेयर या उससे अधिक की वन भूमि वाले प्रस्ताव को नोडल अधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को परियोजना जांच समिति की सिफारिश के साथ अग्रेषित किया जाएगा और उसकी एक प्रति एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाएगी;

(ग) जहां राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि को अनारक्षित, अपयोजन या प्रस्ताव में बताए अनुसार वन भूमि को पट्टे पर न देने का निर्णय लेता है, तो इसकी सूचना प्रयोक्ता एजेंसी को नोडल अधिकारी द्वारा दी जाएगी;

(घ) जहां राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन वन भूमि को अनारक्षित करने के लिए, गैर-वन उद्देश्यों के लिए अपयोजन या पट्टे पर वन भूमि आवंटित करने के लिए जैसा कि प्रस्ताव में दर्शाया गया है, सैद्धांतिक रूप से सहमत होने पर अपनी सिफारिश केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा।

(5) प्रस्ताव का सैद्धांतिक अनुमोदन :-

(क) (i) अनारक्षण (ii) 5 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को सम्मिलित करने वाले खनन (iii) अतिक्रमण के नियमितीकरण और (iv) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन से संबंधित प्रस्तावों को छोड़कर, ऐसे सभी प्रस्तावों (i) रेखीय परियोजना (ii) चालीस हेक्टेयर तक की वन भूमि, और (iii) 0.7 तक वितान (केनोपी) सघनता वाली वन भूमि में 'सर्वेक्षण' के प्रयोजन के लिए उनकी सीमा को ध्यान में रखे बिना, की एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों में जांच की जाएगी और खंड (ग) में विनिर्दिष्ट तरीके से निपटाया जाएगा।

परंतु पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस या पेट्रोलियम खनन पट्टे, जिसमें न तो भौतिक कब्जा और न ही वन भूमि को खंडित करना सम्मिलित हो, प्रदान करने के लिए कोई अनुमोदन अपेक्षित नहीं है। तथापि, वन भूमि पर अन्वेषण अथवा विकासात्मक कुओं की स्थापना और वन भूमि से जुड़ी गतिविधियों जैसे सभी कार्यकलापों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के उपबंधों के अधीन, इन नियमों के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार वास्तविक प्रभाव क्षेत्र के लिए अधिनियम की धारा 2 के खंड (ii) के अधीन अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

- (ख) उपरोक्त उप खण्ड (क) के अधीन संदर्भित प्रस्तावों के अतिरिक्त, अन्य सभी प्रस्तावों की जांच की जाएगी और इन नियमों के अधीन विहित रीति से निपटाया जाएगा।
- (ग) उप खण्ड (क) के अधीन प्राप्त प्रस्तावों की एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निम्नलिखित रीति से जांच की जाएगी :
- (i) 5 हेक्टेयर तक की वन भूमि वाले सभी प्रस्तावों की एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इसकी पूर्णता के संबंध में जांच की जाएगी, और जांच, जो भी आवश्यक समझी जाए, के पश्चात और खंड (ड.) के उप खण्ड (ii) के अधीन सूचीबद्ध पक्षों पर अपेक्षित ध्यान देते हुए, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सैद्धांतिक पूर्व अनुमोदन प्रदान किया जाएगा या लिखित कारण दर्ज करके उसे निरस्त किया जाएगा।
  - (ii) 5 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि वाले सभी रेखीय प्रस्तावों, 'सर्वेक्षण' के प्रयोजन के लिए 0.7 तक कैनोपी घनत्व वाली वन भूमि के उपयोग के लिए सभी प्रस्ताव, चाहे उनकी सीमा कुछ भी हो और पांच हेक्टेयर से अधिक और चालीस हेक्टेयर तक वन भूमि के उपयोग वाले अन्य सभी प्रस्तावों की एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उनकी पूर्णता की जांच के पश्चात नियम 6 के अधीन गठित क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति को संदर्भित किया जाएगा।
  - (iii) क्षेत्रीय सशक्त समिति, उपरोक्त उप खण्ड (क) के अधीन इसे संदर्भित सभी प्रस्तावों की जांच करेगी और आगे की जांच, जो भी आवश्यक समझी जाए, के पश्चात और खंड (ड.) के उप खण्ड (ii) के अधीन सूचीबद्ध पक्षों पर अपेक्षित ध्यान देते हुए, पूर्व अनुमोदन प्रदान करेगी या कारण दर्ज करके उसे निरस्त करेगी।
- (घ) संदर्भित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उप-खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रस्तावों के संबंध में एक स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसे केन्द्रीय सरकार को समिति द्वारा विचार करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ड.) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की निम्नलिखित रीति से जांच की जाएगी :-
- (i) खंड (ख) के अधीन प्राप्त सभी प्रस्तावों, को इनकी पूर्णता की जांच के पश्चात, उपरोक्त खंड (घ) के अधीन अपेक्षित अनुसार स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के साथ समिति को संदर्भित किया जाएगा।
  - (ii) परामर्शदात्री समिति, खंड (ख) में संदर्भित सभी प्रस्तावों को, निम्नलिखित विन्दुओं पर अपेक्षित ध्यान देते हुए परंतु उन्हीं तक सीमित न रहते हुए, जांच करेगी और आगे की जांच, जो भी आवश्यक समझी जाए, के पश्चात केन्द्रीय सरकार को उनके द्वारा अनुमोदन पर विचार करने के लिए सिफारिशें करेगी :-
- (क) वन भूमि का प्रस्तावित उपयोग, किसी गैर-स्थल विशिष्ट प्रयोजन जैसे कि कृषिय प्रयोजनों, कार्यालय या आवासीय प्रयोजनों से अथवा अपने आवासों से विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए नहीं है।
  - (ख) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, ने प्रमाणित कर दिया है कि उसने सभी विकल्पों पर विचार किया है और इन परिस्थितियों में कोई अन्य विकल्प साध्य नहीं है और यह कि अपेक्षित क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकता है।
  - (ग) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, ने अपनी सिफारिश करने से पूर्व, वन भूमि के अपयोजन के कारण वन, वन्यजीव और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव वाले सभी मुद्दों पर विचार किया है।

- (घ) राष्ट्रीय वन नीति के अधीन संबंधित अधिदेश;
- (ङ.) यदि वनेत्तर प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि, किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बाघ रिजर्व का एक हिस्सा है या नामनिर्दिष्ट या अभिज्ञात बाघ या वन्यजीव गलियारा है या वनस्पति-जात और प्राणी-जात की किसी विलुप्तप्रायः या संकटग्रस्त प्रजाति का पर्यावास या गंभीर रूप से अपक्षरित जलग्रहण क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का हिस्सा है तो क्या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, द्वारा पर्याप्त औचित्य दिया गया है और समुचित उपशमन उपाय प्रस्तावित किए गए हैं; और
- (च) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, प्रतिपूरक वनीकरण करने के प्रयोजन से नियम 11 के उप नियम (1) के अनुसार अपनी लागत या प्रयोक्ता एजेंसी की लागत पर उपयुक्त भूमि के अपेक्षित विस्तार और उस पर वनीकरण को करने का दायित्व लेता है।
- (iii) उप खंड (ii) के अनुसार, सिफारिश करते समय समिति, शर्तों या प्रतिबंधों और ऐसे उपशमन उपायों, जो उसके विचार से प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करेंगे, को भी लागू कर सकती है।
- (iv) केंद्रीय सरकार, परामर्शदात्री समिति की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन, सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करेगी या अस्वीकृत करेगी और इस बारे में संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और प्रयोक्ता एजेंसी जैसा भी मामला हो, को संसूचित करेगी।
- (च) (i) यदि इसकी परीक्षा करने के पश्चात प्रस्ताव अपूर्ण या उपलब्ध कराई गई सूचना असत्य पाई जाती है तो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और प्रयोक्ता एजेंसी को एक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जाएगा;
- (ii) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन उपखंड (i) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर पूरी सूचना प्रस्तुत कर सकता है, जिसके पश्चात इन नियमों के अधीन 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा :

परंतु, यदि वांछित सूचना, प्रयोक्ता एजेंसी से संबंधित है तो प्रयोक्ता एजेंसी, केन्द्रीय सरकार को अपेक्षित सूचना प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करेगी जिसकी एक प्रति राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को भेजी जाएगी। प्रयोक्ता एजेंसी से ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, केन्द्रीय सरकार, यदि आवश्यक समझे, तो प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर 'सैद्धांतिक' अनुमोदन की मंजूरी प्रदान करने पर विचार करने के लिए यथा स्थिति संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की टिप्पणियों की मांग कर सकती है।

(6) प्रस्ताव का अंतिम अनुमोदन :-

- (क) (i) नोडल अधिकारी केंद्रीय सरकार से 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, संबंधित प्रभागीय वन अधिकारियों, जिला कलेक्टरों और वन संरक्षक को इसकी सूचना दे सकता है;
- (ii) 'सैद्धांतिक' अनुमोदन की एक प्रति प्राप्त होने पर प्रभागीय वन अधिकारी एक मांग-पत्र तैयार करेगा जिसमें प्रतिपूरक उदग्रहण की मद-वार रकम, जैसा लागू हो, प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भुगतान किया जाएगा और साथ ही 'सैद्धांतिक' अनुमोदन में नियत शर्तों के अनुपालन में उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों और वचनबद्धताओं की एक सूची के साथ प्रयोक्ता एजेंसी को सूचित करेगा;

- (iii) प्रयोक्ता एजेंसी सूचना की प्राप्ति के पश्चात, प्रतिपूरक उदग्रहण का भुगतान करेगा और प्रतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित भूमि को सौंप देगा, प्रतिपूरक उदग्रहण के भुगतान के संबंध में वचनबद्धता और प्रमाण-पत्र सहित दस्तावेजी साक्ष्य की प्रतियों के साथ एक अनुपालन रिपोर्ट और प्रतिपूरक वनीकरण भूमि प्रभागीय वन अधिकारी को सौंप देगा;
- (iv) प्रभागीय वन अधिकारी अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने और पूर्णता से संतुष्ट होने के पश्चात, अनुपालन रिपोर्ट की अंतिम अनुमोदन के लिए सिफारिश करेगा और इसे वन संरक्षक को अग्रेषित करेगा;
- (v) वन संरक्षक, उपर्युक्त उप खंड (iv) में यथानिर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात, अनुपालन रिपोर्ट पर अपनी सिफारिशें करेगा और उसे नोडल अधिकारी को अग्रेषित करेगा;
- (vi) नोडल अधिकारी अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात, इसकी पूर्णता सुनिश्चित करने और राज्य सरकार के प्रधान मुख्य वन संरक्षक या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के मामले में विभाग के प्रमुख का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, ऐसी रिपोर्ट को अपनी सिफारिशों के साथ राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को, यथा स्थिति, अग्रेषित करेगा।
- (ख) (i) केन्द्रीय सरकार, अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त कर लेने और इसकी पूर्णता सुनिश्चित करने के पश्चात, इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन अंतिम अनुमोदन प्रदान करेगी और ऐसे निर्णय के बारे में राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और प्रयोक्ता एजेंसी को सूचित करेगी;
- (ii) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार का अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात और अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन अधिकारों के व्यवस्थापन को सुनिश्चित करने सहित यथा लागू, अन्य सभी अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों की पूर्ति और अनुपालन करने के पश्चात, यथास्थिति अपयोजन, पट्टा निर्धारित करने या अनारक्षण करने के आदेश जारी करेंगे।
- (ग) (i) अधिनियम की धारा 2 के खंड (i) के अधीन अनारक्षण का अंतिम आदेश, जहां भी दिया गया है, के परिणामस्वरूप वन भूमि के अनारक्षण की सूचना राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा स्थिति, राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से दी जाएगी;
- (ii) अनुमोदन प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया इस प्रयोजन के लिए विकसित ऑनलाइन पोर्टल में की जाएगी।
- (घ) (i) जहां सैद्धांतिक अनुमोदन में अधिरोपित की गई शर्त का अनुपालन राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, यथा स्थिति, से दो वर्षों से अधिक समय से प्रतीक्षित है, उनमें सैद्धांतिक अनुमोदन को अकृत और शून्य समझा जाएगा;
- परंतु, केन्द्रीय सरकार लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए, ऐसे प्रस्ताव जिनमें एक हजार हेक्टेयर से अधिक की वन भूमि अंतर्ग्रस्त है, जिनमें सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा चरणवार (अंतिम) निम्न शर्तों के अध्यधीन अनुमोदन प्रदान कर सकती है :
- (1) लगाए गए प्रतिपूरक उदग्रहण का भुगतान और प्रतिपूरक वनीकरण करने के लिए चिन्हित और स्वीकृत भूमि की अधिसूचना अनुपालन के लिए प्रस्तुत किए गए क्षेत्र के भाग के अनुपात में; और
- (2) अन्य कोई विशिष्ट शर्त जिसे अनुपालन के लिए केन्द्रीय सरकार उचित समझे के संबंध में अनुपालन के अध्यधीन हो।

- (ड.) खंड (ख) के उपखंड (ii) के अंतर्गत अंतिम अनुमोदन जारी करने और खंड (ग) के उप खंड (i) के अधीन राजपत्र अधिसूचना जारी होने के पश्चात, यथास्थिति संबंधित वन भूमि को राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपा या समनिदेशित किया जा सकता है;
- (च) संबंधित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान करते समय लागू की गई सभी शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेगा और राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और प्रयोक्ता एजेंसी वर्ष में कम से कम एक बार, सैद्धांतिक अनुमोदन के दौरान अधिरोपित की गई शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेगी और निगरानी रिपोर्ट को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेगी।
10. कार्य योजना के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव - (1) (क) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का नोडल अधिकारी केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर राज्य परामर्शदात्री समिति की सिफारिश के साथ-साथ राष्ट्रीय कार्य योजना कोड के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से तैयार किए गए वन प्रभाग की प्रारूप कार्य योजना प्रस्तुत करेगा;
- (ख) प्रारूप कार्ययोजना में अन्य बातों के साथ-साथ अपयोजित वन भूमि तत्स्थानी प्रतिपूरक वनीकरण भूमियां और उस पर वनीकरण की स्थिति के विवरण सम्मिलित होंगे;
- (ग) केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई प्रारूप कार्य योजना की राष्ट्रीय कार्य योजना कोड, राष्ट्रीय वन नीति, 1988 और इसकी अनुरूपता की जांच संबंधित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाएगी। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय प्रारूप कार्य योजना को शर्तों के साथ-साथ या बिना किसी शर्तों के पूर्व अनुमोदन दे सकता है या प्रारूप कार्य योजना में निहित उपबंधों में संशोधन के साथ उस अवधि के लिए, जैसा कि उचित समझा जाए, अनुमोदन दे सकता है या कारण बताते हुए उसे अस्वीकार कर सकता है;
- (घ) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या इसके नामनिर्दिष्ट अधिकारी कार्य योजना के सभी या विशिष्ट उपबंध और उस अवधि जिसके लिए कार्य योजना अनुमोदित की गई है, के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए सैद्धांतिक मंजूरी में कार्य योजना के निर्देशों का कार्यान्वयन करेंगे;
- (ड.) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अनुमोदित कार्यकारी योजना की मध्य-अवधि समीक्षा करेगा और अपनी सिफारिशों के साथ समीक्षा रिपोर्ट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेगा और एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जांच करने के पश्चात, 'सैद्धांतिक' अनुमोदन की शर्त में संशोधन कर सकता है, या शेष अवधि के लिए पूर्व अनुमोदित कार्य योजना के उपबंधों में संशोधन करते हुए एक नया पूर्व अनुमोदन जारी करेगा या इसके कारण अभिलिखित करके मध्य-अवधि समीक्षा की सिफारिशों को अस्वीकार करेगा; और
- (च) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रस्तुत पात्र वार्षिक कार्य योजना के मामले में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भी विचार एवं अनुमोदन किया जा सकता है।
- (2) (क) खंड 2 की धारा (iv) के अधीन आने वाले सभी प्रस्तावों को चाहे उनका विस्तार कितना भी हो, संबंधित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय को राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे;
- (ख) उप-नियम (1) के भाग (क) के अधीन प्राप्त प्रस्तावों की जांच एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाएगी जो जांच के पश्चात, 'सैद्धांतिक' अनुमोदन दे सकता है या कारण अभिलिखित करके उसे अस्वीकार कर सकता है;
- (ग) ऐसे प्रस्ताव जिनमें वन भूमि के संपूर्ण या कुछ भाग, जिनमें वितान सघनता 0.4 या अधिक हैं या मैदानों में बीस हेक्टेयर और पहाड़ों पर दस हेक्टेयर से अधिक आकार की अच्छी तरह से कटाई वाली वन भूमि के प्रस्ताव, जिनकी वितान सघनता कुछ भी हो, सम्मिलित हैं, क्षेत्रीय सशक्त समिति को अग्रेषित किए जाएंगे और क्षेत्रीय सशक्त समिति इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में इसे देखेगी और जबकि प्रस्ताव की जांच

करते समय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम निर्णय राष्ट्रीय वन नीति, 1988 और राष्ट्रीय कार्य योजना कोड के अनुरूप है;

**स्पष्टीकरण :** इन नियमों के प्रयोजन के लिए "वन भूमि से वनस्पति की समूचित कटाई" का आशय आकार में एक हेक्टेयर या उससे अधिक की वन भूमि से सभी प्राकृतिक वनस्पति को चाहे वह किसी भी रूप में हो उन्हें काटकर, उखाड़कर या जलाकर हटाना है लेकिन विनिर्दिष्ट आकार या प्रजातियों के वृक्षों को गिराने के अन्य प्रकारों को जिसमें उनका चयन द्वारा गिराना या टूटों को गिराना सम्मिलित है, पर "वन भूमि से वनस्पति की समूचित कटाई" के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।

11. **प्रतिपूरक वनीकरण का सृजन - (1)** (क) प्रयोक्ता एजेंसी ऐसी भूमि उपलब्ध कराएगा जो न तो भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) या किसी अन्य विधि के अधीन वन के रूप में अधिसूचित हो, न ही वन विभाग द्वारा वन के रूप में प्रबंधित भूमि हो और वह ऐसी भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) करने की लागत भी वहन करेगा और प्रतिपूरक वनीकरण भूमि की आवश्यकता इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची-1 के अनुसार होगी :

परंतु यदि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रदान की गई गैर-वन भूमि या उसका कोई हिस्सा विनिर्दिष्ट सघनता के वनीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वन विभाग के प्रबंधन नियंत्रण के अधीन ऐसी अवक्रमित अधिसूचित या अवर्गित वन भूमि पर अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जो दी गई प्रतिपूरक वनीकरण भूमि में ऐसी कमी के आकार से दोगुना हो, और प्रयोक्ता एजेंसी ऐसे लेखों पर आई अतिरिक्त लागत को भी वहन करेगी:

परंतु यह और कि यदि प्रतिपूरक वनीकरण के लिए उपलब्ध कराई जा रही गैर-वन भूमि में पहले से ही 0.4 वितान सघनता या उससे अधिक की वनस्पति पैदा हो रही है, तो ऐसी भूमि पर पेड़ लगाने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन समथबद्ध रीति से वन विभाग द्वारा वन फसल के सुधार के लिए एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा:

परंतु यह और भी कि आपवादिक परिस्थितियों में जब इस खंड के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अपेक्षित उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है और इस आशय का प्रमाण पत्र राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र, जैसा भी मामला हो, द्वारा दिया जाता है, तो अवक्रमित वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विचार किया जा सकता है जो मामला-दर-मामला के आधार पर केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों या केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के मामले में अपयोजित किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र से दोगुना होगा:

परंतु यह और कि आपवादिक परिस्थितियों में जब इस खंड के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अपेक्षित उपयुक्त भूमि उपलब्ध न हो, और इस आशय का प्रमाण पत्र राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र, जैसा भी मामला हो, द्वारा दिया गया हो, तो अवक्रमित वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण पर विचार किया जा सकता है जो मामला-दर-मामला आधार पर कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के लिए राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के मामले में अपयोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र से दोगुना होगा:

परंतु यह और कि यदि प्रयोक्ता एजेंसी परियोजना के निष्पादन के लिए कोई गैर-वन भूमि अधिग्रहण करता है, तो केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों, केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों मामले में उपरोक्त अपवाद लागू नहीं होंगे।

**स्पष्टीकरण :** इस खंड के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण को बढ़ाने के विनिर्दिष्ट सघनता ऐसा होगा कि, प्रतिपूरक वनीकरण ऑपरेशन के शुरू होने के पांचवें वर्ष में 0.4 या उससे अधिक के न्यूनतम वितान सघनता का वन विकसित हो, और इस क्षेत्र में पर्याप्त वनस्पति सामग्री है जो इसे परिपक्व कर न्यूनतम 0.7 वितान सघनता वाली भूमि बनाने में सक्षम बनाता है;

(ख) खंड (अ) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई भूमि को उपयुक्त आकार के कंक्रीट के खंभों द्वारा सीमांकित किया जाएगा और सभी बाधाओं से मुक्त करके, राज्य वन विभाग या संघ राज्यक्षेत्र वन विभाग को सौंप दिया जाएगा, और संबंधित वन भूमि को अधिनियम के अधीन अंतिम अनुमोदन से पहले भारतीय वन

अधिनियम, 1927 (1927 की अधिनियम संख्या 16) की धारा 29 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, अनुमोदन किया जाने से पहले संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा;

- (ग) उक्त वन अपयोजन प्रस्ताव के हिस्से के रूप में अनुमोदित प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित और निश्चित की गई भूमि का रखरखाव और वनीकरण किया जाएगा और तत्स्थानी वन भूमि के अपयोजन का आदेश जारी होने के 1 वर्ष के भीतर प्रतिपूरक वनीकरण का कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए और केन्द्रीय सरकार प्रतिपूरक वनीकरण के तौर तरीकों पर मागदर्शक सिद्धांत जारी कर सकती है, जिसमें वे अभिकरण भी सम्मिलित होंगे जो प्रतिपूरक वनीकरण कर सकती हैं;
- (घ) इस उप-नियम के अधीन अगर वन भूमि, जिसको अपयोजित किया जाना है, ऐसे पहाड़ी या पर्वतीय राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में है जिसके भौगोलिक क्षेत्र में दो तिहाई से अधिक वन क्षेत्र है या वह ऐसे किसी दूसरे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में स्थित है जिसके भौगोलिक क्षेत्र में एक तिहाई से अधिक वन क्षेत्र है, तो प्रतिपूरक वनीकरण दूसरे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र जिसका वनावरण इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% से कम है, और दोनों राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की सहमति के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार, प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण या भूमि बैंक को दूसरे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में शुरू किया जा सकता है;

परंतु, ऐसे मामलों में प्रतिपूरक वनीकरण के लिए धनराशि उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में स्थानांतरित की जाएगी जिसमें प्रतिपूरक वनीकरण हेतु भूमि की पहचान की गई है, और प्रतिपूरक उदग्रहण की गई धनराशि उस राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण में जमा की जाएगी जिनमें वन भूमि को अपयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

- (2) (क) कोई राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन यथास्थिति, प्रतिपूरक वनीकरण के प्रयोजन से वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक भूमि बैंक बना सकता है;
- (ख) भूमि बैंक का न्यूनतम आकार 25 हेक्टेयर का निरंतर ब्लॉक होगा।

परंतु, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन वन के रूप में घोषित या अधिसूचित भूमि में निरंतर भूमि बैंक होने के मामले में, संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व या विनिर्दिष्ट बाघ कॉरिडोर के भीतर या विनिर्दिष्ट/चिन्हित वन्यजीव कॉरिडोर के भीतर जमीन के आकार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

- (ग) उप नियम (3) के अधीन अर्जित प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण के अधीन आने वाली भूमि को भूमि बैंक में सम्मिलित किया जा सकता है।
- (3) (क) केन्द्र सरकार, खंड 2 के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण (एसीए) तंत्र का निर्माण कर सकती है;
- (ख) किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण अर्जित किया जा सकता है यदि उसने ऐसी भूमि पर वनीकरण किया हो जिस पर अधिनियम लागू नहीं हो और वह भूमि सभी ऋणभार से मुक्त हो;
- (ग) कोई वनीकरण प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण में गिना जाएगा यदि ऐसी भूमि में मुख्य रूप से 0.4 या उससे अधिक के वितान सघनता वाले पेड़ों से बना वनस्पति क्षेत्र है और पेड़ कम से कम पांच वर्ष पुराने हैं;
- (घ) एक प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण 0.4 या अधिक वितान सघनता के साथ एक हेक्टेयर क्षेत्र के वनीकरण को विकसित करके अर्जित किया जाएगा। 0.4 वितान सघनता से कम या एक हेक्टेयर भूमि से कम के क्षेत्र के विकास के लिए कोई प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण नहीं होगा;
- (ड.) उप-नियम (1) के अधीन वनेत्तर भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण की अदला-बदली की जा सकती है,

परंतु प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण न्यूनतम दस हेक्टेयर के ब्लॉक को कवर करे और उस क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण के लिए विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार बाड़ लगाई गई हो।

परंतु यह और कि इसके अतिरिक्त किसी विधि के अंतर्गत अधिसूचित, संरक्षित क्षेत्र, बाघ रिजर्व या नामनिर्दिष्ट या अभिज्ञात बाघ या वन्यजीव कॉरिडोर के अधीन वन के रूप में घोषित या अधिसूचित भूमि में स्थित किसी भी आकार के प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण को प्रतिपूरक वनीकरण के लिए बदला जा सकता है।

- (च) राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य या बाघ रिजर्व और नामनिर्दिष्ट या अभिज्ञात बाघ या वन्यजीव कॉरिडोर से किसी गांव को स्वैच्छिक रूप से पुनःस्थापन करने के कारण गैर-वन भूमि खाली करने से अर्जित प्रतिपूरक वनीकरण इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची-1 के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करेगा। प्रयोक्ता एजेंसी उप-नियम (1) के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के बदले इस उपबंध का इस्तेमाल भी कर सकती है;
- (छ) इस नियम के अधीन चिन्हित किए गए प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण का सीमांकन उपयुक्त आकार के ठोस स्तंभों द्वारा किया जाएगा और उस भूमि को सभी ऋणधारों से मुक्त करते हुए, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के वन विभाग को सौंप दिया जाएगा और इसे इस अधिनियम के अधीन अंतिम अनुमोदन देने से पहले भारतीय वन अधिनियम, 1927 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।
- (ज) केन्द्रीय सरकार प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण के निर्माण और प्रतिपूरक वनीकरण भूमि के लिए इसकी अदला-बदली के प्रयोजन से उसके स्टॉक रजिस्ट्री प्रबंधन और केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक उसके रखरखाव की लागत के बारे में एक विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकती है।

## 12. सामान्य निर्देश

- (1) वन भूमियों पर वृक्षों की कटाई जिसे इन नियमों के अधीन गैर-वन प्रयोजन के उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है वहां वृक्षों की कटाई को न्यूनतम और अपरिहार्य संख्या तक सीमित रखा जाएगा तथा यह कार्य स्थानीय वन विभाग के पर्यवेक्षण के अधीन किया जाएगा। उससे प्राप्त वनोपज को राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से निपटान के लिए स्थानीय वन विभाग को सौंप दिया जाएगा। जो स्थानीय ग्रामवासियों को उनकी धरेलू वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वितरण करने को प्राथमिकता देगा।
- (2) इन नियमों के अधीन प्रयोक्ता एजेंसी की कीमत पर उपयुक्त स्थायी सीमा चिन्हों के माध्यम से जमीन पर सीमांकित जो वन-भूमि गैर-वन प्रयोजन उपयोग के लिए अपयोजित की गई है उसका प्रयोक्ता एजेंसी तथा वन विभाग या भूमि स्वामित्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से उपयुक्त सर्वेक्षण किया जाएगा तथा किसी गैर-वन प्रयोजन के प्रारंभ से पूर्व उसे वन-विभाग/भू-स्वामित्व विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को सौंप दिया जाएगा।
- (3) इन नियमों के अधीन वन-आवरण के प्रयोजन से भारत वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित नवीनतम भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट में प्रयुक्त आंकड़ों और विवरण को संदर्भित किया जाएगा।
- (4) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अनुरोध के साथ या इसके बिना किसी प्रस्ताव के संबंध में दिए गए अनुमोदन को रद्द कर सकती है और मामला दर मामला आधार पर, जमा किए गए प्रतिपूरक उदग्रहण को वापस करने का निर्णय ले सकती है।
- (5) वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के अपवर्तन में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित की गई शर्तों को अंतिम अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के पश्चात तब तक परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जाएगा जब तक कुछ आपवादिक परिस्थितियां उत्पन्न न हो या केन्द्रीय सरकार अनुपालन के किसी अतिरिक्त खंड को अधिरोपित करना आवश्यक न समझे।

## अनुसूची- 1

[नियम 11 (1) और नियम 11 (3) देखें]

प्रतिपूरक वनीकरण से संबंधित भूमि आवश्यकता के लिए उपबंध

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) भूमि का विवरण	गैर-वानिकी उपयोग के लिए अपयोजित की गई वन भूमि की तुलना में प्रतिपूरक वनीकरण भूमि का आकार
(1)	(2)	(3)
1.	भूमि जिस पर इस अधिनियम के उपबंध लागू नहीं है	समतुल्य
2.	भूमि जो सरकारी रिकार्ड में 'वन' के रूप में अभिलिखित है परंतु निम्नलिखित सभी शर्तें पूर्ण नहीं करती हैं : (क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वन अधिसूचित होना। (ख) वन विभाग द्वारा वन के रूप में प्रबंधित करना। (केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के प्रस्तावों पर ही यह विधान अनुमत है)।	दो गुणा
3.	अवक्रमित अधिसूचित या अवर्गीकृत वनभूमि। (यह वितरण मामला-दर-मामला आधार पर कैप्टिव कोयला ब्लॉक्स के लिए राज्य के सार्वजनिक के उपक्रम और मामला-दर-मामला आधार पर केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों/केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम के मामले में है)	दो गुणा
4.	उपर्युक्त क्रम संख्या (1) के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए योग्य भूमि, एक ब्लॉक में पच्चीस हेक्टेयर या उससे ज्यादा के आकार की भूमि। दस हेक्टेयर से कम की प्रतिपूरक वनीकरण भूमि को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक दस हेक्टेयर से कम की प्रतिपूरक वनीकरण भूमि की आवश्यकता न हो; ऐसे मामलों में प्रयोक्ता एजेंसी को वृक्षारोपण की तारीख से बीस वर्षों की अवधि के लिए इस प्रकार उठाए गए प्रतिपूरक वनीकरण के संरक्षण की अतिरिक्त लागत वहन करनी होगी।	अधिकतम पच्चीस प्रतिशत की छूट के अधीन दस हेक्टेयर के प्रत्येक अतिरिक्त ब्लॉक या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत कम।
5.	उपर्युक्त क्रम संख्या (1) के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए योग्य भूमि, एक ब्लॉक में जो भूमि 25 हेक्टेयर आकार से कम है परंतु 10 हेक्टेयर से अधिक है।  यदि प्रतिपूरक वनीकरण भूमि की आवश्यकता पच्चीस हेक्टेयर से कम है लेकिन आकार में दस हेक्टेयर से अधिक है, तो प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अतिरिक्त भूमि के उपबंध लागू नहीं होंगे लेकिन प्रयोक्ता एजेंसी को वृक्षारोपण की तारीख से बीस वर्षों की अवधि के लिए इस प्रकार उठाए गए प्रतिपूरक वनीकरण के संरक्षण की अतिरिक्त लागत वहन करनी होगी।	प्रत्येक पांच हेक्टेयर लघु ब्लॉक आकार या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत अधिक
6.	उपर्युक्त क्रम संख्या (1) के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए योग्य भूमि तथा संरक्षित क्षेत्र की अधिसूचित सीमा के अधीन अवस्थित है।	पच्चीस प्रतिशत कम
7.	उपरोक्त क्रमांक (1) या (2) के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए योग्य भूमि तथा एक राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य या एक संरक्षित क्षेत्र या बाघ रिजर्व के साथ अन्य	पन्द्रह प्रतिशत कम

	संरक्षित क्षेत्र और नामनिर्दिष्ट या अभिज्ञात बाघ या वन्यजीव गलियारों को जोड़ने वाला क्षेत्र, की अधिसूचित सीमा की निरंतरता में स्थित है।	
8.	उपरोक्त क्रमांक (1) या (2) के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिए योग्य भूमि तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) या अन्य विधि के अधीन वन के रूप में अधिसूचित वन भूमि के निकटवर्ती स्थित है। किसी भी आकार की प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण भूमि को स्वीकार किया जा सकता है यदि वह किसी विधि के अधीन अधिसूचित वन भूमि के पास हो।	दस प्रतिशत कम
9.	प्रतिपूरक वनीकरण भूमि वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या बाघ रिजर्व से गांव (गैर-वन भूमि में स्थित), के संपूर्ण तथा स्वैच्छिक पुनःस्थापन/आवास से ऐसे अभयारण्य उद्यान या रिजर्व, या एक संरक्षित क्षेत्र या बाघ रिजर्व के साथ अन्य संरक्षित क्षेत्र और नामनिर्दिष्ट/चिन्हित वन्यजीव गलियारों को जोड़ने वाला क्षेत्र, यथास्थिति, के बाहर गैर वनभूमि पर उपलब्ध कराई गई।	(क) राष्ट्रीय उद्यान/ वन्यजीव अभयारण्य/ बाघ रिजर्व में गांव या आवास स्थल को खाली कराने के माध्यम से प्रतिपूरक वनीकरण भूमि के बराबर वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के भुगतान से छूटा। टिप्पण: "शुद्ध वर्तमान मूल्य" का प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) के धारा 2 की खंड (ज) में निर्धारित अर्थ वही होगा। (ख) स्वैच्छिक पुनःस्थापन के माध्यम से एक गांव द्वारा खाली किए गए स्थान पर (गैर-वन भूमि: अर्जित प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण) 1:1.25 के अनुपात में प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण (परंतु इसे वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या बाघ रिजर्व, के भाग के रूप में तथा संरक्षित क्षेत्र या आरक्षित क्षेत्र के रूप में भी अधिसूचित किया जाए) (ग) अतिरिक्त प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण 0.5 हेक्टेयर प्रति पुनर्स्थापित परिवार के मूल्य पर।

**टिप्पणी 1 :** प्रयोक्ता एजेंसी या प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण विकासकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि पुनःस्थापन स्वैच्छिक है।

**टिप्पणी 2 :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सुसंगत योजनाओं के अधीन भी कोई क्षतिपूर्ति पुनःस्थापनकर्ता या प्रयोक्ता एजेंसी या प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण विकासकर्ता को देय नहीं होगा।

**टिप्पणी 3 :** राज्य सरकार भी इस उपबंध का उपयोग कर सकती है, यदि ऐसी योजना पर कोई केंद्रीय सहायता प्राप्त नहीं की जाती है।

## अनुसूची-2

## [नियम 8 (2) तथा नियम 9 (4) देखें]

परियोजना जांच समिति द्वारा गैर-वानिकी प्रयोजन के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु प्रस्तावों की जांच की समयावधि

क्र.सं.	गैर-वानिकी उपयोग के लिए अनारक्षण/अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का आकर (हेक्टेयर में)	गैर-वानिकी उपयोग की प्रकृति	समयावधि (कार्य दिवस)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	5 से अधिक और 40 तक	सभी उपयोग (खनन के अतिरिक्त)	60
2.	5 से अधिक और 40 तक	खनन	75
3.	40 से अधिक और 100 तक	सभी उपयोग (खनन के अतिरिक्त)	75
4.	40 से अधिक और 100 तक	खनन	90
5.	100 से अधिक	सभी उपयोग (खनन के अतिरिक्त)	120
6.	100 से अधिक	खनन	150

**टिप्पणी 1:** परियोजना जांच समिति [(नियम 9(4) (ड.) देखें] द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्ताव के अंतिम जमा करने की तारीख से गणना की गई समयावधि (कार्य दिवस)।

**टिप्पणी 2:** परियोजना जांच समिति या विभागीय वन अधिकारी किसी अनुमोदित विशेष योजना जैसे वन्यजीव प्रबंधन योजना, जलागम क्षेत्र शोधन योजना प्रवाह/नदी संरक्षण योजना इत्यादि के पश्चात ही प्रस्ताव की जांच करेंगे, यदि नियम 9 के उप-नियम (4) के खंड (ज) के अधीन प्रस्ताव की जांच के समय विनिर्दिष्ट संबंधित प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया गया हो।

**टिप्पणी 3:** नियम 9 के उपनियम (4) के खंड (ज) में निहित, खनन और खनन के अलावा सभी प्रस्तावों को, जिनमें 5.0 हेक्टेयर तक वन क्षेत्र सम्मिलित हो, क्रमशः अधिकतम 45 और 30 कार्य दिवस के भीतर संसाधित किया जाएगा।

[फा. सं. एफसी-11/118/2021-एफसी]

रमेश कुमार पाण्डेय, वन महानिरीक्षक

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2022

**G.S.R. 480(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) and in supersession of the Forest (Conservation) Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

**1. Short title, extent and commencement.** - (1) These rules may be called the Forest (Conservation) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.** - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- "Accredited Compensatory Afforestation" means a system of proactive afforestation to be used for obtaining prior approval under section 2 of the Act.
- "Act" means the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980);
- "Advisory Committee" means the Advisory Committee constituted under section 3 of the Act;
- "Chairperson" means the Chairperson of the Advisory Committee;



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 440]  
No. 440]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2012/भाद्र 15, 1934  
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2012/BHADRA 15, 1934

जनजातीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 669(अ).— अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम, 2012 का प्रारूप, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) की धारा 14 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा.का.नि. 578(अ), तारीख 19 जुलाई, 2012 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में उसी तारीख को प्रकाशित किया गया था, जिससे ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां, जनता को 20 जुलाई, 2012 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप संशोधन नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) की धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है,

अर्थात् :-

3319GI/12012

(1)

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) में,—

(i) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(ख) “जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं” से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारों के किसी प्रयोग के माध्यम से स्वयं और कुटुंब की जीविका की आवश्यकताओं को पूरा करना अभिप्रेत है तथा जिसके अंतर्गत ऐसे अधिकारों के प्रयोग से उद्भूत अधिशेष उत्पाद का विक्रय भी है ;”;

(ii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(गक) “सामुदायिक अधिकार” से वे अधिकार अभिप्रेत हैं, जो धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ), खंड (ज), खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ट) और खंड (ठ) में सूचीबद्ध हैं ;

(iii) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(घ) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन “गौण वन उत्पाद के निपटान” में विक्रय के अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति या सामूहिक प्रसंस्करण, मूल्य परिवर्धन, ऐसे उत्पाद के उपयोग के लिए परिवहन के समुचित साधनों के माध्यम से वन क्षेत्र के भीतर और बाहर परिवहन या जीविका के लिए जनसमूह या उनकी सहकारिताओं, संगमों या परिसंघों द्वारा विक्रय भी है।’;

स्पष्टीकरण—(1) गौण वन उत्पाद के परिवहन के संबंध में, परमिट प्रणाली उपांतरित होगी और नियम 4 के उपनियम (1) के खंड (ङ) के अधीन गठित समिति द्वारा या ग्राम सभा द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिए जाएंगे।

(2) परिवहन परमितों की अपेक्षा की यह प्रक्रिया निपटान के अधिकार को किसी भी प्रकार से निर्बंधित या न्यून नहीं करेगी।

(3) गौण वन उत्पादों का संग्रहण सभी रायल्टी या फीस या अन्य प्रभारों से मुक्त होगा।

3. उक्त नियमों के नियम 2 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2क. पुरवों या बंदोबस्तों की पहचान और उनके समेकन की प्रक्रिया-

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि,-

(क) प्रत्येक पंचायत, उसकी सीमाओं के भीतर पुरवों के समूह या आवास, गैर लेखबद्ध या सर्वेक्षण नहीं किए गए बंदोबस्तों या वन ग्राम या जंगल स्थित ग्राम, जो औपचारिक रूप से किसी राजस्व या वन ग्राम अभिलेख का भाग नहीं है, की सूची तैयार करती है और पंचायत

के संकल्प के माध्यम से इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ग्रामों के रूप में सम्मिलित प्रत्येक ऐसे आवास, पुरवों या आवासों की संयोजित ग्राम सभा द्वारा इस सूची को पारित कराएगी और ऐसी सूची को उपखंड स्तर की समिति को भेजेगी ;

(ख) उपखंड स्तर समिति के उपखंड अधिकारी उन पुरवों और आवासों की सूचियों को समेकित करते हैं जो वर्तमान में किसी ग्राम के भाग नहीं हैं किन्तु किसी संकल्प के माध्यम से पंचायत के भीतर ग्रामों के रूप में सम्मिलित किए गए हैं, और या तो विद्यमान ग्राम में ग्राम के रूप में जोड़कर या अन्यथा सुसंगत राज्य विधियों में यथाउपबंधित प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात् ग्राम के रूप में औपचारिक रूप दे दिया गया है और जनता की टीका-टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् ऐसी सूचियों को उपखंड स्तर समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया है, यदि कोई है ;

(ग) लघु ग्रामों और आवासों की सूचियों को अंतिम रूप देने पर इन लघु ग्रामों और आवासों में मान्यता और अधिकारों के निहित होने की प्रक्रिया पहले से मान्यताप्राप्त किन्हीं अधिकारों में व्यवधान डाले बिना की जाती है ;”।

4. उक्त नियमों के नियम 3 में,-

(क) उपनियम (1) में, “कम से कम एक-तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होंगे” शब्दों के स्थान पर, “कम से कम दो-तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होंगे” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4) वन अधिकार समिति अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम, 2012 के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व, पहले से मान्यताप्राप्त वन अधिकारों या पहले से संस्थित दावों के सत्यापन की प्रक्रिया पर नए सिरे से विचार नहीं करेगी ।”।

5. उक्त नियम के नियम 4 में,-

(i) खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(च) खंड ड के अधीन गठित समिति जो कि वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वननिवासियों के लाभ के लिए ऐसे सामुदायिक वन संसाधनों को साम्यापूर्ण प्रबंध करने के लिए सामुदायिक वन संसाधनों के परिरक्षण और प्रबंध योजना तैयार करेगी, की मानीटरी और निबंधन करना और ऐसी परिरक्षण और प्रबंध योजना को वन विभाग की सूक्ष्म योजनाओं या कार्य योजनाओं से ऐसे उपांतरणों जैसा की समिति द्वारा आवश्यक समझा जाए के साथ एकीकृत करना ।

(छ) परिवहन परमिट, उत्पादों के विक्रय से आय का उपयोग या प्रबंध योजना का उपांतरण से संबंधित समिति के सभी विनिश्चयों का अनुमोदन करेगी ।

(ii) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) ग्राम सभा के अधिवेशन में गणपूर्ति ऐसी ग्राम सभा के सभी सदस्यों के आधे से अन्यून सदस्यों द्वारा होगी :

परंतु उपस्थित सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई स्त्रियां होंगी :

परंतु यह और कि जहां वन अधिकारों के दावों के संबंध में कोई संकल्प पारित किया जाना है, वन अधिकारों के दावेदारों या उनके प्रतिनिधियों के पचास प्रतिशत उपस्थित होंगे ।

परंतु यह और भी कि ऐसे संकल्प उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित होंगे ।”।

6. उक्त नियमों के नियम 6 में खंड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ठ) दावेदारों को दावों के इन नियमों के उपाबंध-1 (प्ररूप क, ख और ग) में यथाउपबंधित प्रोफार्मा की आसानी से और निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करेगी”।

7. उक्त नियमों के नियम 8 में,

(i) खंड (छ) में “और” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ज) में “और” शब्द अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(iii) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(झ) यह सुनिश्चित करना कि इन नियमों के उपाबंध-4 में यथाविनिर्दिष्ट, अधिनियम के अधीन सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों और हक के अभिलेख की एक प्रमाणित प्रति संबंधित ग्राम सभा या समुदाय, जिनके सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकारों को अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन मान्यता दी गई है, को प्रदान की गई है”।

8. उक्त नियमों के नियम 10 में,-

(i) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा :-

“(ग)” तीन मास में कम से कम एक बार वन अधिकारों की मान्यता, सत्यापन और निहित करने की प्रक्रिया को मानिटर करने के लिए बैठक करेगी, क्षेत्र स्तर समस्याओं पर विचार और उनका समाधान करेगी, और लंबित दावों की प्रास्थिति के संबंध में उपाबंध 5 से उपाबंध प्ररूप में उनके निर्धारण पर अधिनियम के अधीन अपेक्षित कदमों का अनुपालन करेगी, अनुमोदित दावों के ब्यौरे, खारिज करने के कारण, यदि कोई हों केन्द्रीय सरकार को त्रैमासिक रिपोर्ट देगी,”।

(ii) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(च) विशिष्टतया धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन और धारा 4 की उपधारा (8) को भी मानिटर करेगी, ”

9. उक्त नियमों के नियम 11 के उपनियम (4) में "प्ररूप ख में सामुदायिक वनाधिकारों" शब्दों और अक्षर के स्थान पर "प्ररूप ख में सामुदायिक वनाधिकारों और प्ररूप ग में धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन सामुदायिक वन संसाधन पर अधिकार" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

10. उक्त नियमों के नियम 12 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"12क. अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया-(1) वनाधिकार समिति से सूचना की प्राप्ति पर वन और राजस्व विभागों के पदधारी स्थल पर दावों के सत्यापन और साक्ष्यों के सत्यापन के दौरान उपस्थित रहेंगे और अपने पदनाम, तारीख और टिप्पणियां, यदि कोई हों, के साथ कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करेंगे।

(2) यदि इन विभागों द्वारा पश्चातवर्ती किसी तारीख को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित दावों पर इस कारण आक्षेप किए जाते हैं कि क्षेत्र सत्यापन के दौरान उनके प्रतिनिधि अनुपस्थित रहते हैं, तो पुनःसत्यापन के लिए दावे को उस समिति द्वारा जहां आक्षेप किए गए हैं, ग्राम सभा को भेज दिया जाएगा। यदि उक्त प्रतिनिधि फिर से सत्यापन प्रक्रिया में भाग लेने में असफल रहते हैं, तो क्षेत्र सत्यापन पर ग्राम सभा का विनिश्चय अंतिम माना जाएगा।"

(3) ग्राम सभा द्वारा दावे को उपांतरण या उसे खारिज करने की दशा में या उपखंड स्तर समिति द्वारा अप्रेषित दावे को उपांतरण या उसे खारिज करने की दशा में दावे पर ऐसे विनिश्चय या सिफारिशों को व्यक्तिगत रूप से दावेदार को संसूचित किया जाएगा जिससे वह, यथास्थिति, उपखंड स्तर समिति या जिला स्तर समिति को साठ दिन की अवधि जिसे तीस और दिन के लिए उक्त समितियों के विवेक पर विस्तारित किया जा सकेगा के भीतर याचिका करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

(4) यदि कोई अन्य राज्य अभिकरण ग्राम सभा या उपखंड स्तर समिति के विनिश्चय पर आक्षेप करने की वांछ रखता है, तो वह, यथास्थिति, उपखंड स्तर समिति या जिला स्तर समिति के संमक्ष अपील फाइल करेगा जिसका विनिश्चय दावेदार को सुनने के पश्चात् (संबंधित अभिकरण के प्रतिनिधि, यदि कोई हो, की अनुपस्थिति में) समिति द्वारा किया जाएगा।

(5) किसी व्यथित व्यक्ति की याचिका को तब तक निपटाया नहीं जाएगा जब तक कि उसे अपने दावे के समर्थन में कुछ प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर न प्रदान कर दिया गया हो।

(6) उपखंड स्तर समिति या जिला स्तर समिति, यदि आवश्यक समझे, तो ग्राम सभा के संकल्प या सिफारिश के अपूर्ण पाए जाने या प्रथम दृष्टया अतिरिक्त परीक्षण की अपेक्षा होने की दशा में उसे उपांतरित या खारिज करने की बजाए पुनर्विचार करने के लिए ग्राम सभा को दावे को प्रतिप्रेषित करेगी।

(7) उन दशाओं में, जहां ग्राम सभा द्वारा किसी दावे की समर्थनकारी दस्तावेजों और साक्ष्य के साथ सिफारिश करने संबंधी पारित संकल्प को उप खंड स्तर की समिति को उपांतरणों के साथ या उनके बिना मान्य ठहराया जाता है किन्तु उसे जिला स्तर समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो जिला स्तर समिति, यथास्थिति, ग्राम सभा या उपखंड स्तर समिति की सिफारिशों को स्वीकार न करने के ब्यौरेवार कारण लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करेगी और जिला स्तर समिति के

3319 GI/12-2

आदेश की प्रति उसके कारणों सहित, यथास्थिति, दावाकर्ता या ग्राम सभा या समुदाय को उपलब्ध कराई जाएगी ।

(8) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन मान्यता प्राप्त स्वयं कृषि करने के लिए भूमि संबंधी अधिकारों को विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर जिसके अंतर्गत कृषि से संबंधित आनुषंगिक क्रियाकलापों जैसे पशु रखने, पछोने और अन्य पशु फसल कटाई क्रियाकलापों, चक्रानुक्रम परती भूमि, वृक्ष उपज और उत्पाद के भंडारण आदि के लिए प्रयुक्त वन भूमि भी है ।

(9) इन नियमों के उपाबंध 2, 3 और 4 में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारों के स्थिरीकरण और हक जारी करने की प्रक्रिया पूरी होने पर, राजस्व और वन विभाग इस प्रकार निहित वन भूमि का अंतिम मानचित्र तैयार करेंगे और संबद्ध प्राधिकारी इस प्रकार निहित वनाधिकारों को, यथास्थिति, राजस्व और वन विभागों के अभिलेखों में सुसंगत राज्य विधियों के अधीन अभिलेख अद्यतन किए जाने की विनिर्दिष्ट अवधि या तीन मास की अवधि इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के भीतर समाविष्ट करेंगे ।

(10) उपखंड स्तर समिति और जिला स्तर समिति के सभी विनिश्चय, जिनमें ग्राम सभा संकल्प या सिफारिश का उपांतरण या नामंजूर किया जाना अंतर्वर्तित है, में, यथास्थिति, ऐसे उपांतरण या नामंजूर करने के ब्यौरेवार कारण दिए जाएंगे :

परंतु यह कि दावों की कोई सिफारिश या नामंजूर करना केवल तकनीकी या प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं होगा :

परंतु यह और कि ब्लॉक या पंचायत या वन बीट या रेंज स्तर पर कोई समिति (सिवाय ग्राम सभा या वन अधिकार समिति) या किसी रैंक का व्यक्ति अधिकारी वन अधिकारों पर किसी दावे को लेने या नामंजूर करने, उपांतरित करने या विनिश्चय करने के लिए सशक्त होगा ।

(11) उपखंड स्तर समिति या जिला स्तर समिति दावे का विनिश्चय करने में नियम 13 में विनिर्दिष्ट साक्ष्य पर विचार करेगी और दावे पर विचार करने के लिए किसी विशिष्ट दस्तावेजी साक्ष्य पर बल नहीं देगी ।

स्पष्टीकरण.- 1. शासकीय कार्य के दौरान उद्भूत जुर्माने की रसीदें, अधिक्रमणकर्ता सूची, मुख्य अपराध रिपोर्टें, वन व्यवस्थापन रिपोर्टें और वैसे ही दस्तावेज चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों अथवा उनका न होना किसी दावे को नामंजूर किए जाने का एकमात्र आधार नहीं होगा ।

(2) उपग्रह चित्र और प्रौद्योगिकी के अन्य उपयोग साक्ष्य के अन्य रूपों के अनुपूरक हो सकेंगे और उन्हें उनका विकल्प नहीं माना जाएगा ।

**12ख. सामुदायिक अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया--** (1) जिला स्तर समिति वनवासियों के बीच विशिष्टतः भेद्य जनजातीय समूह की अंतरीय भेद्यता को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम की धारा 3(1)(ड) में यथावर्णित सभी विशिष्टतः भेद्य जनजातीय समूह संबंधित पारंपरिक संस्थाओं के विशिष्टतः भेद्य जनजातीय समूह (पीटीजी) के परामर्श से आवास अधिकार प्राप्त करते हैं और आवास अधिकारों के संबंध में उनके दावे, संबंधित ग्राम सभाओं के समक्ष, जहां कहीं उनकी ग्राम सभा की प्लवमान प्रकृति को मान्यता देकर आवश्यक हो, फाइल किए जाते हैं ।

(2) जिला स्तर समिति संबंधित ग्राम सभाओं के समक्ष धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (घ) में यथावर्णित चारागाहियों, क्षेत्रान्तरण और घुमंतु समुदायों जैसे कि द्वारा दावों को फाइल किए जाने को सुकर बनाएगी।

(3) जिला स्तर समिति यह सुनिश्चय करेगी कि धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन किसी सामुदायिक वन संसाधन के संरक्षण, पुनर्जनन या परीक्षण या प्रबंधन से संबंधित वन अधिकारों जिनके प्रति वन निवासी पारंपरिक रूप से निरंतर उपयोग के लिए संरक्षण और परीक्षण को सभी ग्रामों में वनवासियों के पास मान्यता दी गई है और हकदारी जारी की गई है।

(4) किसी ग्राम में वन संपदा अधिकारों को मान्यता न दिए जाने की दशा में उसके कारणों को जिला स्तर समिति के सचिव द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।

(5) वन ग्रामों, धारा 3 के खंड (ज) के अधीन गैरअभिलिखित स्थिरिकरण में ग्राम के वास्तविक भूमि उपयोग को उसकी संपूर्णता में शामिल किया जाएगा जिसके अंतर्गत विद्यालयों, स्वास्थ्य परिसुविधाओं और सार्वजनिक स्थान आदि जैसे भावी सामुदायिक उपयोग के लिए अपेक्षित विद्यमान भूमि भी है।

11. उक्त नियमों के नियम 12 में उपनियम (1) में खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(च) सामुदायिक वन संसाधनों की परंपरागत सीमाओं को ग्राम सभा के अन्य सदस्यों के साथ जिसके अंतर्गत ऐसे बड़े भी हैं जो ऐसी सीमाओं और परंपरागत पहुंच के साथ भली प्रकार से परिचित हैं, चिह्नित किया जाएगा ;

(छ) पहचाने जा सकने वाले भूमि चिह्नों के साथ और सारवान साक्ष्य के माध्यम से एक सामुदायिक वन संसाधन मानचित्र तैयार किया जाएगा जैसा कि नियम 13 के उपनियम (2) में उपदर्शित है और तत्पश्चात् ऐसे सामुदायिक वन संसाधन दावे को ग्राम सभा के संकल्प जिसे साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकेगा, द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- सामुदायिक वन संसाधन के चिह्नांकन में विद्यमान विधिक सीमाओं जैसे कि आरक्षित वन, संरक्षित वन, राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारणों को शामिल किया जा सकेगा और ऐसा चिह्नांकन समुदाय की ऐसे सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच, संरक्षण और निरंतर उपयोग को औपचारिकता प्रदान करेगा और मान्यता देगा।

12. उक्त नियमों के नियम 13 के उपनियम (2) में-

(i) "सामुदायिक वनाधिकार" शब्दों के स्थान पर "सामुदायिक वन संसाधन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(घ) चालू आरक्षित वन के संरक्षित वन या गोचर या गांव की अन्य आम भूमि के वर्गीकरण के पूर्ववर्ती सरकारी अभिलेख या निस्तारी वन ;

(ङ) पारंपरिक कृषि की पूर्ववर्ती या चालू पद्धति।"

13. उक्त नियमों के नियम 15 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

**"16. वन अधिकार धारकों को दावा पत्र सहायता और सहयोग**

राज्य सरकार अपने विभागों विशेषकर जनजाति और समाज कल्याण, पर्यावरण और वन, राजस्व, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और अन्य वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन वासियों के उत्थान से सुसंगत अन्य विभागों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि सभी सरकारी स्कीमों जिनके अंतर्गत भूमि सुधार भूमि उत्पादकता मूल सुविधाओं और जीवन-यापन उपायों से संबंधित स्कीमों को ऐसे दावाकर्ताओं को और समुदायों जिनके अधिकारों को इस अधिनियम के अधीन मान्यता दी गई है और विहित किया गया है के लिए उपबंध किया जा सके।"

14. उक्त नियमों के उपाबंध 1 में, प्ररूप ख के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप-ग	
सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों के लिए दावा प्ररूप	
[अधिनियम की धारा 3(1)(झ) और नियम 11(1) और (4क) देखिए]	
1. ग्राम/ग्राम सभा :	
2. ग्राम पंचायत :	
3. तहसील/तालुक :	
4. जिला :	
5. ग्राम सभा के सदस्यों के नाम (प्रत्येक सदस्य के सामने उपदर्शित अनुसूचित जनजाति /अन्य परंपरागत वन निवासी प्रास्थिति सहित अलग एक प्रपत्र के रूप में संलग्न करें)	
दावा करने के लिए जनजातियों/अन्य परंपरागत वन निवासियों का होना पर्याप्त है।	
हम, इस ग्राम सभा के अद्योहस्ताक्षरित निवासी इसके द्वारा यह संकल्प करते हैं कि नीचे और संलग्न मानचित्र में निर्दिष्ट क्षेत्र, जिसमें हमारा ऐसा सामुदायिक वन संसाधन सम्मिलित है, जिस पर हम धारा 3(1) (झ) के अधीन अपने अधिकारों की मान्यता का दावा कर रहे हैं।	
(अवस्थित ग्राम की पारंपरिक या रुढ़िजन्य सीमाओं के भीतर भूमि चिह्न या चरागाही समुदायों की दशा में उस स्थलाकृति का मौसमी उपयोग, जिसके लिए समुदाय पारंपरिक पहुंच रखता था और जिन्हें वे संधार्य उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षित, पुनरुज्जीवित, परिरक्षित और प्रबंधित करते रहे हैं, को दर्शाते हुए सामुदायिक वन संसाधन का मानचित्र संलग्न करें। कृपया ध्यान दें कि इसके शासकीय सीमाओं के अनुरूप होने की आवश्यकता नहीं है।)	
6. खसरा/कपार्टमेंट संख्या (संख्याएं) यदि कोई हों और यदि ज्ञात हो :	

7. सीमा से लगते हुए ग्राम :

(i)

(ii)

(iii)

(इसमें किन्हीं अन्य ग्रामों के साथ संसाधनों और उत्तरदायित्वों का हिस्सा बटाने के संबंध में जानकारी भी सम्मिलित की जा सकेगी)

8. समर्थन में साक्ष्य की सूची (कृपया नियम 13 देखिए)

दावेदार(दावेदारों) का/के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान :

15. उक्त नियमों में उपाबंध 3 के पश्चात् निम्नलिखित उपाबंध अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“उपाबंध-4

सामुदायिक वन संसाधनों के लिए हक

[नियम 8(i) देखिए]

1. ग्राम/ग्राम सभा :

2. ग्राम पंचायत :

3. तहसील/तालुक :

4. जिला :

5. अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी : अनुसूचित जनजाति समुदाय/अन्य परंपरागत वन निवासी समुदाय/दोनों :

6. सीमाओं का वर्णन, जिसके अंतर्गत प्रमुख सीमा चिन्ह तक और खसरा/कंपार्टमेंट सं. तक रुढ़िजन्य सीमा भी है :

उक्त क्षेत्र के भीतर इस समुदाय को सामुदायिक वन संसाधनों की संरक्षा, पुनरुज्जीवित करने या परिरक्षित करने या प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त है और यह (नामोद्धिष्ट करें) समुदाय वन संसाधन, जिसका वे इस अधिनियम की धारा 3(1) (झ) के अनुसार संघार्य उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षण और परिरक्षण करते रहे हैं ।

हम, अधोहस्ताक्षरी इसके द्वारा, सरकार के लिए और उसकी ओर से ऊपर उल्लिखित ग्राम सभा (ग्राम सभाओं)/समुदाय (समुदायों) के लिए हक में यथावर्णित सामुदायिक वन संसाधन (सीमा, मात्रा, क्षेत्र, जो भी लागू हो, में नामोद्धिष्ट और विनिर्दिष्ट किया जाए) की पुष्टि करने के लिए अपने-अपने हस्ताक्षर करते हैं ।

3319/GT/12-3

(प्रभागीय वन अधिकारी/उप वन संरक्षक)

(जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी)

(जिला कलक्टर/उपायुक्त)

## उपाबंध-5

त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप  
[नियम 10(ग) देखें]

1.	राज्य का नाम	
2.	दावों की प्रास्थिति	
क)	व्यष्टिक अधिकार	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• फाइल किए गए</li> <li>• स्वीकृत किए गए</li> <li>• अस्वीकृत किए गए</li> <li>• लंबित</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• उदाहरणों सहित अस्वीकृत करने के कारण</li> <li>• सुझाए गए सुधारात्मक उपाय</li> <li>• कोई अन्य प्रेक्षण</li> <li>• सम्मिलित वन भूमि का विस्तार (है. में)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• इस अधिनियम की धारा 3(1)(क) के अधीन वन और राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करने की प्रास्थिति (है.में)</li> </ul>	
ख)	सामुदायिक वन अधिकार	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• फाइल किए गए</li> <li>• स्वीकृत किए गए</li> <li>• अस्वीकृत किए गए</li> <li>• लंबित</li> <li>• सम्मिलित वन भूमि का विस्तार</li> <li>• इस अधिनियम की धारा</li> </ul>	

	3(1)(ख) से 3(1)(ल) के अधीन वन और राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करने की प्रास्थिति (हे.में)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• उदाहरणों सहित अस्वीकृत करने के कारण</li> <li>• सुझाए गए सुधारात्मक उपाय</li> <li>• कोई अन्य प्रेक्षण</li> </ul>	
ग)	प्रबंधित किए जा रहे और किसके द्वारा प्रबंधित किए जा रहे सामुदायिक वन संसाधन के ब्यौरे	
घ)	अच्छे व्यवहार (यदि कोई हो)	
ङ)	अधिनियम की धारा 3(2) के अधीन विभाजित क्षेत्र	
च)	कोई अन्य टिप्पणियां	

(अध्यक्ष)

(सदस्य सचिव)

राज्य स्तरीय मानीटरी समिति

राज्य स्तरीय मानीटरी समिति ।।

[फा. सं 23011/32/2010- (जिल्द 2)]

डा. साधना रावत, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1(अ) तारीख 1 जनवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS  
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2012

G.S.R. 669(E).—WHEREAS the draft of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Amendment Rules, 2012 were published, as required by sub-section (1) of section 14 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) under the notification of the Government of India in the Ministry of Tribal Affairs number G.S.R.578(E), dated the 19th July, 2012 in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) of the same date, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;